पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

CIRCULAR

PFRDA/2025/06/REG-CRA/01 15 September 2025

To

All Central Recordkeeping Agencies (CRAs)

Madam/Sir,

Guidelines on Price Discovery Process for the charges of Central Recordkeeping Agencies (CRAs) for the services rendered by them to the subscribers

1. Regulation 22 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 and its amendments thereof *(hereinafter referred to as "CRA Regulations")* states *that:*

   (1) A central recordkeeping agency may collect service charges plus applicable taxes, for providing services to the subscribers of the pension schemes covered under the Act. The service charges shall be determined through a price discovery process initiated by the Authority.

   (2) The process mentioned under sub-regulation (1) shall be initiated by the Authority, upon notification of these provisions or regulations and thereafter upon conclusion of every five year period, from the last of such price discovery process…"

2. In accordance with the aforementioned regulations, the applicable charges for the services provided by CRAs to the subscribers under the pension schemes regulated / administered by the Authority are hereby revised as under:

Table 1: Charge Structure for Government Sector (NPS & UPS)

Sl.	Charge Head		Government Sector (NPS & UPS) (In ₹) Upper Cap
1	PRAN Opening Charge#	e-PRAN Kit	18
		Physical PRAN Card	40
2	Annual Maintenance Charge per Account*		100
3	Transaction Charge		0

**For accounts having Nil balance, the Annual Maintenance Charge shall be zero.*
#e-PRAN Kit should be the default option at the time of account opening.

Table 2: Charge Structure for APY & NPS Lite

Sl.	Charge Head	APY & NPS-Lite (In ₹) Upper Cap
1	PRAN Opening Charge	15
2	Annual Maintenance Charge	15
3	Transaction Charge	0

Table 3: Charge Structure for Private Sector (NPS & NPS Vatsalya)

Sl.	Charge Head		Private Sector (NPS & NPS-Vatsalya) (In ₹) Upper Cap[$]
1	PRAN Opening Charge	e-PRAN Kit	18
		Physical PRAN Card	40
2	Transaction Charge		0
3	Account Maintenance Charge per Account (AMC)		
	Tier I Corpus Slab (In ₹)		
	Nil		0
	1 - 2,00,000		100
	2,00,001 - 10,00,000		150
	10,00,001 - 25,00,000		300
	25,00,001 - 50,00,000		400
	Above 50,00,000		500

[$]such reduced/negotiated charges shall not be below the upper cap stipulated in respect of the immediately preceding slab.

3. Further, the following may be noted:
   a) Charges stipulated above are the upper cap and no CRA shall charge more than the amount mentioned in Table 1, Table 2 and Table 3 above.
   b) CRAs shall be free to reduce the charges any time or based on the negotiations, if any, with the employers/subscribers/PoPs, such that the reduced/negotiated charges shall not be below the upper cap fixed in respect of the immediately preceding slab.
   c) For the Private Sector, a pension scheme resides in an Account and each Account attracts a charge based on slab-wise corpus, as detailed in Table 3.

d) The charges stipulated under Table 1 for UPS subscribers under Government Sector are applicable only during the accumulation phase. The charges applicable for UPS subscribers, if any, during payout / decumulation phase shall be separately stipulated by PFRDA at a later stage.

e) In case of any new services introduced by CRAs, it may recover actual charges without any markup on utilization of such services by the subscribers, subject to the approval of PFRDA.

f) CRAs shall display the charge structure on their official website/mobile application.

4. This circular herewith supersedes the circular no. PFRDA/2020/22/REG-CRA/3 dated 15 June 2020 issued on *'Guidelines for Price Discovery Mechanism for the Central Recordkeeping Agencies (CRAs) for the services rendered by them to the subscribers, as a part of the Selection of Central Recordkeeping Agencies'*. The revised charges structure shall come into effect from 1st October 2025.

5. This circular is issued in exercise of the powers conferred under Section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

Yours Sincerely,

GURMINDER KAUR 2025.09.15 19:24:58 +05'30'

(**Gurminder Kaur**)
General Manager

परिपत्र

पीएफआरडीए/2025/06/आरईजी-सीआरए/01 15 सितंबर 2025

प्रति,
सभी केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण ('सीआरए')

महोदया / महोदय,

अभिदाताओं को प्रदत्त सेवाओं हेतु केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) द्वारा लिए जाने वाले शुल्कों के मूल्य अन्वेषण प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देश |

1. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 यथासंशोधित (आगे ' सीआरए विनियम' के रूप में संदर्भित) के विनियम 22 के अनुसार -

   "(1) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, अधिनियम के अंतर्गत शामिल की गई पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रभार और लागू कर संगृहीत कर सकता है। सेवा प्रभार प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई मूल्य अन्वेषण प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।"

   (2) उप-विनियम (1) के तहत वर्णित प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा शुरू की जाएगी जो इन प्रावधानों की अधिसूचनाओं या विनियमों तथा उसके पश्चात प्रत्येक पाँच वर्ष बाद, पिछली ऐसी मूल्य अन्वेषण प्रक्रिया के अंत में होगा…"

2. उपर्युक्त विनियमों के अनुरूप, प्राधिकरण द्वारा विनियमित / प्रशासित पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं हेतु सीआरए द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए लागू शुल्क, निम्नानुसार संशोधित किए जाते हैं :

तालिका 1: सरकारी क्षेत्र (एनपीएस एवं यूपीएस) हेतु शुल्क संरचना

क्र.सं.	**शुल्क शीर्षक**		**सरकारी क्षेत्र (एनपीएस एवं यूपीएस) अधिकतम सीमा (₹ में)**
1	पीआरएएन सृजन शुल्क #	ई-पीआरएएन किट	18
		भौतिक पीआरएएन कार्ड	40
2	प्रति खाते वार्षिक अनुरक्षण शुल्क*		100
3	लेनदेन शुल्क		0

** जिन खातों में शेषराशि शून्य होगी, उन पर वार्षिक अनुरक्षण शुल्क देय नहीं होगा।*
 # खाता खोलते समय ई-पीआरएएन किट डिफ़ॉल्ट विकल्प होगा।

तालिका 2: एपीवाई एवं एनपीएस-लाइट हेतु शुल्क संरचना

क्र.सं.	शुल्क शीर्षक	एपीवाई एवं एनपीएस-लाइट अधिकतम सीमा (₹ में)
1	पीआरएएन सृजन शुल्क	15
2	वार्षिक अनुरक्षण शुल्क	15
3	लेनदेन शुल्क	0

तालिका 3: निजी क्षेत्र (एनपीएस एवं एनपीएस वात्सल्य) हेतु शुल्क संरचना

क्र.सं.	शुल्क शीर्षक		निजी क्षेत्र (एनपीएस एवं एनपीएस वात्सल्य) अधिकतम सीमा (₹ में)$
1	पीआरएएन सृजन शुल्क	ई-पीआरएएन किट	18
		भौतिक पीआरएएन कार्ड	40
2	लेनदेन शुल्क		0
3	प्रति खाते वार्षिक अनुरक्षण शुल्क		
	टियर I कॉर्पस स्लैब (₹ में)		
	शून्य		0
	1 – 2,00,000		100
	2,00,001 – 10,00,000		150
	10,00,001 – 25,00,000		300
	25,00,001 – 50,00,000		400
	50,00,000 से अधिक		500

$ऐसे रियायती / निर्धारित किए गए शुल्क तत्काल पूर्ववर्ती स्लैब के संबंध में निर्धारित ऊपरी सीमा से कम नहीं होंगे।

3. इसके अलावा, निम्नलिखित पर भी ध्यान दिया जाए :

क. उपर्युक्त तालिकाओं में निर्दिष्ट शुल्क अधिकतम सीमा है तथा कोई भी सीआरए, तालिका 1, तालिका 2 और तालिका 3 में उल्लिखित राशि से अधिक शुल्क नहीं लेगा।

ख. सीआरए कभी भी नियोक्ताओं/अभिदाताओं/पीओपी के साथ वार्ता के आधार पर शुल्क कम कर सकता है, बशर्ते रियायती/निर्धारित शुल्क तत्क्षण पूर्ववर्ती स्लैब की अधिकतम सीमा से कम न हों।

ग. निजी क्षेत्र हेतु, प्रत्येक पेंशन योजना एक खाते में निहित रहती है और प्रत्येक खाता कॉर्पस के स्लैब-वार आधार पर शुल्क आकर्षित करता है, जैसा कि तालिका 3 में विस्तार से दिया गया है।

घ. सरकारी क्षेत्र के यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभिदाताओं हेतु, तालिका 1 में उल्लिखित शुल्क केवल संचय चरण के दौरान लागू होंगे। भुगतान/ संचय चरण में UPS अभिदाताओं हेतु लागू शुल्क अलग से प्राधिकरण द्वारा बाद में अधिसूचित किए जाएंगे।

ङ. सीआरए द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली नई सेवाओं के मामले में, वे अभिदाताओं से वास्तविक शुल्क (बिना किसी अतिरिक्त मार्जिन के) वसूल कर सकते हैं, बशर्ते प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त हो।

च. सीआरए अपने आधिकारिक वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन पर शुल्क संरचना प्रदर्शित करेंगे।

4. यह परिपत्र दिनांक 15 जून 2020 के परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/2020/22/आरईजी-सीआरए/3 का स्थान लेता है, जो 'केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के चयन के एक भाग के रूप में, अभिदाताओं को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) के लिए मूल्य अन्वेषण तंत्र हेतु दिशानिर्देश' विषय पर जारी किया गया था। संशोधित शुल्क संरचना 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगी।

5. यह परिपत्र, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

भवदीय,

GURMINDER KAUR 2025.09.15 19:25:29 +05'30'

(गुरमिंदर कौर)
महाप्रबंधक